76/013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

1000 / एक हजार मात्र
04 OCT 2013

INDIA

84

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 353071

बैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust) :

यह न्यास विलेख आज दिनांक 09.10.2013 को आजमगढ़ में राम प्रताप यादव पुत्र श्री बैजनाथ यादव निवासी ग्राम-काजीपुर, पोस्ट-बिरैयाकोट, विकास खण्ड-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया है।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 100000/- (एक लाख रुपये मात्र) की धनराशि है। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, और कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट बैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता नियोजित ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाएं ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपने इच्छा के अनुकूल 100000/- (एक लाख) रुपये की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकरण कार्यालय ग्राम-काजीपुर, पोस्ट-बिरैयाकोट, विकास खण्ड-जहानागंज, जनपद-आजमगढ़ रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-टेलुआ, पोस्ट-बिरैयाकोट, जनपद-आजमगढ़ होगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

सं० 67 डी० 1000/ बैजनाथ राममनोहर इ-स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी शोध एवं प्रशिक्षण —
ग्राम कासिमपुर पो० सठियांव आजमगढ़ —
[illegible] कासिमपुर पो० [illegible] आजमगढ़
ता० 07/10/013
सीता सिंह

सीता सिंह लाइसेंस-48
कलेक्ट्री कचहरी-आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

04 OCT 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 353072

क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धारावश्‍य घोषित किया जाता है।

वैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

<u>उद्देश्य एवं नियमावली</u> :-

(1) <u>ट्रस्ट के उद्देश्य</u> :- ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कॉलेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण विकास, सम्बद्ध-आबद्ध, प्रबन्ध संचालन/समाजोत्थान सम्बन्धित समस्त कार्य आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध-आबद्ध पंजीकृत करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला-बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

[illegible]

सीमा सिंह

सीमा सिंह लाइसेन्स-48
कलेक्ट्री कचहरी-आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH F 797163

8. कृषि, संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाजकल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाजकल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना।

10. आई0आई0टी0, आई0टी0आई0, बी0टी0सी0, बी0टेक, पालिटेक्निक, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथिरेपी आदि मेडिकल कॉलेजों एवं इन्जीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

11. समाज के लोगों के लिए हास्पीटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।

13. अंधे, गूँगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथाव्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा, मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक-आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

[illegible] 69 [illegible] 2001 [illegible] 67 [illegible] 7/10/2013

सीमा सिंह [illegible]-46
[illegible] कचहरी-आजमगढ़

OCT 2013
आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 797166

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
16. पुस्तकों, साहित्य, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।
17. सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र, प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना।
18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना
19. व्यक्ति विशेष एवं अन्य सोसाइटी/ट्रस्ट के द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजो, इन्जीनियरिंग कॉलेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्पत्ति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना एवं उसका प्रचार-प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना।

सीमा सिंह

सीमा सिंह लाइसेन्स-48
कलेक्ट्री कचहरी-आजमगढ़

OCT 2018

आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 128045

26. पुस्तक पुस्तिकाएं, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित, बिक्रित कर सकना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
32. विभिन्न आयोजन एवं कारणों हेतु छात्रवृति पुरस्कार सहायता एव वित्तिय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कॉलेज/इंजीनियरिंग कॉलेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना और अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के हितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासंभव अपनी सेवायें/वस्तुएँ लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों क निर्माण मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।

[illegible] 67 [illegible] 3/10/2015

सीमा सिंह

सीमा सिंह [illegible]–43
कलेक्ट्री कचहरी–[illegible]

04 OCT 2015

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 128046

36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए कार्य नही करेगा। जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।

38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना।

39. किसानो के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

(2) प्रारम्भिक उपबन्ध :-

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से रामप्रताप यादव जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं। इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।

2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष रामप्रताप यादव द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो भी रामप्रताप यादव की मृत्यु के पश्चात् विशाल यादव, विकास यादव, आकाश यादव पुत्रगण रामप्रताप यादव ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे आदि रामप्रताप यादव के लड़के बालिक न हो तो उनकी पत्नी श्रीमती गिरजा यादव इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष होंगी जब तक कि विशाल यादव, विकास यादव एवं आकाश यादव कानून रूप से बालिग न हो जाय।

3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तरदायित्वों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।

सीमा सिंह

सीमा सिंह स्टाम्प–
कलेक्टरी कचहरी–आजमगढ़

04 OCT 2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 128047

4. यदि श्री रामप्रताप यादव के मृत्यु के समय लड़के नाबालिग होते हैं तो उनकी ओर से उनकी माँ श्रीमती गिरजा मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्य तब तक संभालेंगी, जब तक कि विशाल यादव, विकास यादव एवं आकाश यादव कानून रूप में बालिक न हो जाय।

(3) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग, ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्था से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करा के अथवा वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

सीमा सिंह ला०न०–48
कलेक्ट्री कचहरी–आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 128048

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्ट/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तानान्तरण विषय पर विचार पुनः विचार करने के हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया। कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण जाना जायेगा।

(4) <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज</u> :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने पर सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें अधिकतम ग्यारह सदस्य होंगे।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्यअवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

[illegible]

सीमा सिंह

सीमा सिंह नजारत-48
फौजदारी कचहरी-आजमगढ़

04 OCT 2016

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BP 128049

4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

(5) <u>अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधाएँ</u> :-

1. यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने मे मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करते हुए ट्रस्ट से मानसिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) <u>कार्यक्षेत्र</u> :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(7) <u>मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार</u> :-

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय मे हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर

सीमा सिंह नकलनवीस–48
कलेक्ट्री कचहरी–आजमगढ़

0 4 OCT 2018

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 128050

दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्य-कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(8) सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जायेगा।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक पद प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशंसात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(9) <u>उपाध्यक्ष की नियुक्ति</u> :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएँ कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

सीमा सिंह

सीमा सिंह आ0न0–48
कलेक्ट्री कचहरी–आजमगढ़

04 OCT 2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 128051

3. यह कि उपध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनजिंग ट्रस्टी अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनिक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियाँ कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

(10) <u>अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :-

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे-

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व ढंग से देख-रेख करने के लिए उपाध्यक्ष सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(11) <u>उपाध्यष के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :-

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार-विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

[illegible] 67 [illegible] 07/10/013

सीमा सिंह

सीमा सिंह आर0-45
कलेक्ट्री कचहरी-आजमगढ़

04 OCT 2013

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 128052

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य-कलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्य-कलापो, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार नियम/उप नियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संस्था को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(13) उप सचिवों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

[illegible] 07/10/013

सीमा सिंह लाइसेंस-48
कलेक्ट्री कचहरी–आजमगढ़

04 OCT 2013

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BP 128053

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हैं।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्य का पालन करना।

(14) <u>बैंक एकाउन्ट</u> :-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारादिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(15) <u>विधिक कार्यवाही</u> :-

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही कीजाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव/अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(16) <u>सम्पत्ति सम्बन्धी</u> :-

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

04 OCT 2013

न्यास पत्र

100,000.00	1,000.00	100	1,100.00	5,000	
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग	

श्री राम प्रताप यादव

पुत्र श्री बैजनाथ यादव

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी ग्रा0 काजीपुर पो0व परा0 विरैयाकोट तह0 सदर जिला आजमगढ़

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 9/10/2013 समय 11:37AM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार तिवारी

उपनिबन्धक सदर

आजमगढ़

9/10/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री राम प्रताप यादव

पुत्र श्री बैजनाथ यादव

पेशा अन्य

निवासी ग्रा0 काजीपुर पो0व परा0 विरैयाकोट तह0 सदर जिला आजमगढ़

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री कमलाकान्त यादव

पुत्र श्री रामचन्दर यादव

पेशा अन्य

निवासी ग्रा0 हसनपुर पो0 ऐराख्ला तह0 मेंहनगर जिला

व श्री मनोज यादव

पुत्र श्री कमलाकांत यादव

पेशा अन्य

निवासी ग्रा0 शाहबुद्दीन पो0 जमीन कटघर तह0 नि0बाद जिला

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

पवन कुमार पाण्डेय

नि0लि0

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार तिवारी

उपनिबन्धक सदर

आजमगढ़

9/10/2013

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 128054

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख/विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पति का क्रय-विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति, प्रतिभूत, भाड़ा क्रय, अनुज्ञप्ति, बंधक, भारित गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

(17) विशेष :-

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक के नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट बैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं व नियम/उप नियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

सीमा सिंह स्टाम्प0-48
कलेक्ट्री कचहरी-आजमगढ़

न्यासी

Registration No.: 76 Year: 2,013 Book No.: 4

0101 राम प्रताप यादव

बैजनाथ यादव

सा0 कन्जीपुर पोस्ट ग्रा0 सिधारी तह0 सदर जिला आजमगढ़

अन्य

0 4 OCT 2013

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 128055

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। इस धारा अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गई किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। बैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित बैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित, अनुमोदित, घोषित, स्वीकृत, आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती हैं कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

साक्षीगण-

1. नाम- कमला कान्त यादव
पता- श्री राम चन्द्र यादव
ग्रा० हुसनपुर पो० रेराकला
त० मेहनगर जि० आजमगढ़

2. नाम- [illegible]
पता- [illegible]
[illegible]
[illegible]

दिनांक-

रामप्रताप यादव
संस्थापक/अध्यक्ष
बैजनाथ रामनरेश इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शोध एवं प्रशिक्षण ट्रस्ट

मसविदाकर्ता-

सीमा सिंह स्टाम्प-
कलेक्ट्री कचहरी-आजमगढ़

आज दिनांक 09/10/2013 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 145

पृष्ठ सं. 381 से 410 पर क्रमांक 76

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार तिवारी
उपनिबन्धक सदर
आजमगढ़
9/10/2013